

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव, उदयपुर

गोदरी लाल

विपक्षी

बालु लाल

२५/०१/१९

सन् २०१९

म मुकदमा

ख.पत्र २१२ प.११ पत्रावली संख्या

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई

२३-०१-२० पत्रावली पेय डूरी बालु लाल पक्षकारन अनुपस्थित न्यायालय डाय न्यायालय सत्र में तीन बार शक शक कर कावाज लगवाई गई किंतु वार्ड अथवा उनके अधिकार प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए इससे यह धनीर होता है कि वार्ड अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं हैं एवं अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वार्ड का वाद प्रकरण में अनुपस्थित रहने से पैरवी के अभाव में अदालत हाली व अदालत पैरवी में खायीज किया जाता है।

Majhi
उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

